Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/PopularFront EMedia
/pfiofficial

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
10 फरवरी 2020

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को धक्काः पॉपुलर फ्रंट

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव अनीस अहमद ने एक बयान में कहा कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला पिछड़े वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से बनाए गए संवैधानिक प्रावधान के लिए एक और धक्का है।

आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की पहले से ही साज़िश चल रही है, जो कि समाज के उन वर्गों को ऊपर उठाने की एक संवैधानिक कोशिश है जो कई ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े चले आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार इसमें आर्थिक मापदंड लादकर पहले ही आरक्षण व्यवस्था को दूसरा रुख दे चुकी है। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि प्रतिनिधित्व में असंतुलन का आंकड़ा दिखाए बिना अदालतें राज्यों को कोटा देने का आदेश नहीं दे सकतीं और राज्यों को इस तरह के कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस फैसले से आरक्षण के खिलाफ कोशिशों को और मज़बूती मिलेगी। हालांकि सभी वर्गों का सत्ता में पर्याप्त प्रतिनिधित्व आज तक पूरा नहीं हो पाया है, जो कि आरक्षण का असल मकसद है, ऐसे में इस तरह के फैसले को आरक्षण के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष कदम के तौर पर ही देखा जा सकता है। इससे आरक्षण को तबाह करने की केंद्र सरकार की कोशिशें और आसान हो जाएंगी।

अल्पसंख्यकों, ओबीसी और एससी/एसटी के अधिकारों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय से एक के बाद एक इस तरह के फैसलों का आना निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। अनीस अहमद ने इस ओर इशारा किया कि उच्च न्यायपालिका में ऊंची जातियों का वर्चस्व और आदिवासियों, दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व इस खतरनाक रुझान का एक कारण हो सकता है। उन्होंने सभी पिछड़े वर्गों से आरक्षण और प्रतिनिधित्व के अपने अधिकार की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई को मज़बूत करने की अपील की।

डॉ मोहम्मद शमून
डायरेक्टर मीडिया एवं जनसंपर्क
मसाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली